

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठारीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्रीमती उमा पत्नी शिवराम जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तह कठूमर जिला अलवर (राज0)।
-----सायल

वनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना-पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :- 16.10.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 70, 73 रकबा 0.80 हैक्टे0. वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया ने बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषि ऋण ले रखा था लेकिन अब बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया है इसीलिए दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायलान द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोकन किया। सायला के प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट पर आराजी खसरा संख्या 70, 73 रकबा 0.80 हैक्टे0. वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू, राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 70, 73 रकबा 0.80 हैक्टे0. वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चैतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)